संख्या-9/2023/I/290039/2023/001-71-4099-692-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023**

विषय:- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3862/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु(65)18-19/2022-23, दिनांक 13-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 48988.61 लाख के सापेक्ष अवशेष रू० 6925.99 लाख (रू० 48988.61 लाख - रू० 42062.61 लाख) में से अनुदान संख्या:083 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू० 4229.81 में से रू० 3149.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवम् पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-89-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईस एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक हेतु **रू० 3149.56 लाख (रूपये इकतीस करोड़ उन्चास लाख छप्पन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-आई/ 115214/2021-71-4099/692/2021-4- दिनांक-18.11.2021 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. शासनादेश संख्या- 72/2018/1251/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक-28.03.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,49,56,000 (रुपये इकतीस करोड़ उनचास लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या-9/2023/I/290039/2023/001-71-4099-692-2021, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7. ईकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई,इटावा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त (व्यखय नियंत्रण) अनुभाग-3 एवं समाज कल्या0ण विभाग(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।